भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग

**राज्य सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 606**

**08 फरवरी, 2019 को उत्तरार्थ**

**विषय: किसानों के लिए अतिरिक्त कार्य**

**606. श्री प्रताप सिंह बाजवाः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण 2016-17 के निष्कर्षों का संज्ञान लिया है, जिसमें यह बताया गया है कि लगभग 88 प्रतिशत कृषि परिवारों को परिवार के गुजारे के लिए कृषि के अलावा अन्य कार्य करने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस पर की गई कार्रवाई सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कृषि परिवारों को अतिरिक्त कार्य प्राप्त करने में मदद करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य-वार कितने कृषि-प्रसंस्करण उद्योग संस्वीकृत किए गए हैं और प्रारंभ किए गए हैं, उनके वित्त पोषण की पद्धति क्या है तथा इनमें से प्रत्येक परियोजना के क्रियान्वयन की समय-सीमा क्या-क्या है?

**उत्तर**

**कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री**

**(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): नाबार्ड के ‘अखिल भारतीय ग्रामीण सन्‍निहित वित्‍तीय सर्वेक्षण 2016-17’ के परिणामों के अनुसार, देश में लगभग 12.7 प्रतिशत कृषि परिवारों के पास आय का एक ही स्रोत था, जो या तो खेती अथवा संबद्ध क्रियाकलाप था। अत: शेष 87.3 प्रतिशत कृषि परिवार जीविका के लिए आय के विभिन्‍न स्रोतों पर निर्भर करते थे। आय के एक ही स्रोत पर निर्भर परिवारों के लिए औसत मासिक आय 5,324 रूपए तक होने का अनुमान है।

कृषि परिवारों के आय आधार को विविधिकृत करने के उद्देश्‍य से, सरकार बागवानी, पुष्‍पकृषि, मधुमक्‍खीपालन, मत्‍स्‍य पालन, कृषि वानिकी आदि पर ध्‍यान केंद्रित करते हुए एकीकृत फार्मिंग को बढ़ावा दे रही है। इस लक्ष्‍य के लिए, विभिन्‍न मिशनों और योजनाओं का कार्यान्‍वयन अभिमुखी विधि से किया जा रहा है जिनमें, अन्‍य बातों के साथ-साथ, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्‍ट्रीय गोकुल मिशन, राष्‍ट्रीय पशुधन मिशन, नीली क्रांति, राष्‍ट्रीय कृषि वानिकी और बांस मिशन (एनएबीएम) आदि शामिल हैं। इसके अलावा, कृषि श्रमिकों सहित ग्रामीण लोगों को लाभान्‍वित करने के लिए सरकार महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण नियोजन अधिनियम और अन्‍य योजनाओं के तहत रोजगार प्रदान कर रही है। कृषि परिवारों को उनकी आय की प्रतिपूर्ति करने के साथ-साथ ग्रामीण लोगों को लाभान्‍वित करने हेतु इसे बनाया गया है।

(ङ): सरकार व्‍यक्‍तियों, किसानों, किसान उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ), उद्यमियों, सहकारिताओं, समितियों, स्‍वयं सहायता समूहों (एसएचजी), निजी कंपनियों और केंद्र/राज्‍य की पीएसयू आदि द्वारा देश में खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों की स्‍थापना के लिए अनुदान सहायता के रूप में पूंजी सब्‍सिडी उपलब्‍ध कराने हेतु एक केंद्रीय क्षेत्र योजना, नामत: ‘प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)’ का कार्यान्‍वयन कर रही है। वित्‍तीय सहायता की दर परियोजनाओं के प्रकार और स्‍थान के आधार पर 35 प्रतिशत से 75 प्रतिशत तक है जो प्रति परियोजना अधिकतम 5.00 करोड़ रूपए तक सीमित है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों सहित पीएमकेएसवाई के तहत स्‍वीकृत खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योगों के राज्‍य-वार ब्‍यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं।

**अनुबंध**

**दिनांक 08.02.2019 को देय राज्‍य सभा अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 606 के भाग (ड़) के उत्‍तर के संदर्भ में अनुबंध**

|  |  |
| --- | --- |
| **31.01.2019 तक पीएमकेएसवाई योजना के तहत स्‍वीकृत खाद्य प्रसंस्‍करण प्रयोजनाओं के राज्‍य-वार ब्‍यौरे** | |
| **राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र** | **स्‍वीकृत परियोजनाओं की संख्‍या** |
| अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह | - |
| आंध्र प्रदेश | - |
| अरूणाचल प्रदेश | - |
| असम | 2 |
| बिहार | - |
| चंडीगढ़ | - |
| छत्‍तीसगढ़ | 2 |
| दादरा एवं नगर हवेली | - |
| दमन और दीव | - |
| दिल्‍ली | - |
| गोवा | - |
| गुजरात | 11 |
| हरियाणा | 10 |
| हिमाचल प्रदेश | 8 |
| जम्‍मू और कश्‍मीर | 11 |
| झारखंड | - |
| कर्नाटक | 8 |
| केरल | 4 |
| लक्षद्वीप | - |
| मध्‍य प्रदेश | 6 |
| महाराष्‍ट्र | 17 |
| मणिपुर | 1 |
| मेघालय | 1 |
| मिजोरम | 1 |
| नागालैंड | 4 |
| ओडिशा | 2 |
| पुदुचैरी | - |
| पंजाब | 4 |
| राजस्‍थान | 7 |
| सिक्‍किम | - |
| तमिलनाडु | 17 |
| तेलंगाना | - |
| त्रिपुरा | 1 |
| उत्‍तर प्रदेश | 20 |
| उत्‍तराखंड | 5 |
| पश्‍चिम बंगाल | 3 |
| **कुल** | **147** |

स्रोत: खद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय

\*\*\*\*\*